संख्या 7 (19)/2008-संस्था-III (क)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
<u>व्यय विभाग</u>

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2008

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सी एच एस) में शामिल पदों के सिवाय सभी चिकित्सीय पदों से संबंधित प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दरों में संशोधन।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि डाक्टरों को बैंड वेतन तथा ग्रेड वेतन के औसत की मौजूदा 25 प्रतिशत की दर पर प्रैक्टिस -बंदी भत्ता (एन पी ए) मिलता रहेगा, बशर्ते कि मूल वेतन + एन पी ए 85,000 रुपए से अधिक न हो । सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 15.4.1998 के का. ज्ञा. सं. 7 (25) संस्था III (क) में संशोधन करते हुए प्रैक्टिस बंदी भत्ते को मौजूदा 25 प्रतिशत की दर पर देना जारी रखा जाए बशर्ते कि मूल वेतन + एन पी ए 85,000/- रुपए से अधिक न हो ।

2. संशोधित वेतनमान ढांचे के मूल वेतन का आशय निर्धारित वेतन बैंड जमा लागू ग्रेड वेतन में आहरित वेतन से है, परन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसी कोई अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है। एच ए जी + और इससे ऊपर के वेतनमानों में सरकारी कर्मचारियों के मामले में, मूल वेतन का अभिप्राय निर्धारित वेतनमान में वेतन से है ।

3. प्रैक्टिस बंदी भत्ते की संशोधित दरें केन्द्रीय सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित कर्मचारियों (अधिकारियों) को मान्य संशोधित वेतन पाने की तारीख से लागू होंगी ।

4. प्रैक्टिस बंदी भत्ते को उन चिकित्सीय पदों तक सीमित रखा जाएगा जिनके लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 या दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अंतर्गत चिकित्सीय अर्हता अनिवार्य योग्यता के रूप में निर्धारित की गयी हो ।

5. प्रैक्टिस बंदी भत्ते को महंगाई भत्ते के परिकलन, यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों की हकदारी के प्रयोजन के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए वेतन के रूप में माना जाएगा ।

6. ये आदेश रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु उर्जा विभाग के अधीन चिकित्सीय पदों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनके संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।

आलोक
(आलोक सक्सेना)
निदेशक

सेवा में,
सभी मंत्रालय और विभाग आदि ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चिकित्सा सेवाओं के लिए आवश्यक आदेश जारी करने हेतु प्रतिलिपि प्रेषित ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी सी एच एस और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अंतर्गत चिकित्सीय पदों के लिए ऐसे ही आदेश जारी कर सकता है ।

आलोक
(आलोक सक्सेना)
निदेशक